

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 52
मंत्रिमंडल

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1.00	255.30	256.30	1.00	303.52	304.52	1.00	263.57	264.57	
पूंजी	...	2.10	2.10	...	6.48	6.48	5.00	2.00	7.00	
जोड़	1.00	257.40	258.40	1.00	310.00	311.00	6.00	265.57	271.57	
मंत्रिपरिषद										
1. वेतन	2013	...	1.37	1.37	...	2.91	2.91	...	1.51	1.51
2. यात्रा व्यय	2013	...	53.00	53.00	...	88.00	88.00	...	46.00	46.00
3. सत्कार संबंधी तथा अन्य भत्ते	2013	...	2.55	2.55	...	2.73	2.73	...	2.55	2.55
4. मंत्रिमंडल सचिवालय (मुख्य तथा पीएओ)	2013	...	8.54	8.54	...	9.57	9.57	...	10.88	10.88
5. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय	2013	...	6.65	6.65	...	5.92	5.92	...	5.20	5.20
6. मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय	2013	...	1.77	1.77	...	1.67	1.67	...	1.67	1.67
7. प्रधान मंत्री का कार्यालय	2013	...	12.79	12.79	...	11.72	11.72	...	12.83	12.83
जोड़-मंत्रिपरिषद	86.67	86.67	...	122.52	122.52	...	80.64	80.64
पुलिस										
8. विशेष सुरक्षा समूह	2055	...	74.00	74.00	...	77.46	77.46	...	79.15	79.15
	4055	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00
जोड़-विशेष सुरक्षा समूह	76.00	76.00	...	79.46	79.46	...	80.15	80.15
9. केन्द्रीय जांच ब्यूरो	2055	1.00	93.34	94.34	1.00	102.24	103.24	1.00	102.38	103.38
	4055	...	0.10	0.10	...	4.48	4.48	5.00	1.00	6.00
जोड़-केन्द्रीय जांच ब्यूरो	...	1.00	93.44	94.44	1.00	106.72	107.72	6.00	103.38	109.38
जोड़-पुलिस	...	1.00	169.44	170.44	1.00	186.18	187.18	6.00	183.53	189.53
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
10. आतिथ्य एवं मनोरंजन व्यय	2070	...	1.29	1.29	...	1.30	1.30	...	1.40	1.40
कुल जोड़	...	1.00	257.40	258.40	1.00	310.00	311.00	6.00	265.57	271.57
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय जांच ब्यूरो	32055	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	6.00	...	6.00

1. इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों के वेतनों की व्यवस्था शामिल है।

2. इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों द्वारा की जाने वाली यात्राओं पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है।

3. इसमें मंत्रियों के सत्कार संबंधी तथा अन्य भत्ते शामिल हैं।

4. इसमें मंत्रिमंडल सचिवालय के वेतन, यात्रा, कार्यालय खर्च से संबंधित व्यय शामिल हैं।

5. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के वेतन, यात्रा, कार्यालय खर्च से संबंधित व्यय शामिल हैं।

6. इसमें मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वेतन, यात्रा, कार्यालय खर्च से संबंधित व्यय शामिल हैं।

7. इसमें प्रधानमंत्री के कार्यालय के वेतन, यात्रा, कार्यालय खर्च आदि से संबंधित व्यय शामिल है।

8. इसमें भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटस्थ परिवार के सदस्यों को समीपस्थ सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष सुरक्षा दल के लिए व्यवस्था शामिल है।

9. यह प्रावधान केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए है जो सरकारी कर्मचारियों, गैर सरकारी व्यक्तियों, फर्मों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों और गंभीर अपराध के अन्य मामलों में जांच तथा कानूनी कार्रवाई करता है। आयोजना प्रावधान कार्यालय की इमारत के निर्माण के लिए है।

10. इसमें विदेशी राष्ट्रों के मेहमानों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन पर; उप-राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में किए जाने वाले सरकारी मनोरंजन पर, राष्ट्रीय दिवसों पर स्वागत, मानाभिषेक और सम्मान-पत्र समारोहों आदि के प्रस्तुतीकरण पर होने वाला व्यय शामिल है।